

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर
-संशोधित आदेश- (अनलॉक-1)

क्रमांक / 1653 / एस.डब्ल्यू. / 2020

जबलपुर, दिनांक 2 जून, 2020.

जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी.एम-1 (ए) दिनांक 30 मई 2020, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 189/2020/सी-2 भोपाल दिनांक 31.05.2020 द्वारा जारी निर्देश के पालन में तथा District Crisis Management Group में की गई चर्चा अनुसार वनी राहगति के आधार पर इस कार्यालय से जारी संशोधित आदेश क्रमांक 1626/एस.डब्ल्यू./2020 जबलपुर दिनांक 31.05.2020, में आंशिक संशोधन करते हुये संपूर्ण जिले में दिनांक 30.06.2020 तक अनलॉक-1 की अवधि को बढ़ाया जाता है। समस्त प्रकार की गतिविधियां शासन द्वारा एवं इस कार्यालय द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के तहत संचालित करने हेतु जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को तीन भाग कंटेनमेंट जोन, बफर जोन एवं ग्रीन जोन में विभाजित किया जाता है।

कंटेनमेंट जोन, बफर जोन एवं ग्रीन जोन की अद्यतन स्थिति विभागीय वेबसाइट jabalpur.nic.in में उपलब्ध रहेगी।

कंटेनमेंट जोन :-

कंटेनमेंट जोन ऐसे क्षेत्र है, जिनमें पॉजिटिव मरीज पाये गये हैं। ऐसे क्षेत्र को इंसीडेन्ट कमाण्डर द्वारा चिन्हित कर बेरीकेटिंग किया गया है। कंटेनमेंट जोन के अन्दर निवासरत व्यक्तियों का बाहर जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। जोन के अन्दर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई पाइंट के माध्यम से नगर निगम, जबलपुर द्वारा किया जावेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारी को पी.पी.ई. किट पहनना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, हर घर का निरीक्षण किया जावेगा और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे।


बफर जोन :-

बफर जोन ऐसे क्षेत्र है, जहां पर नये पॉजिटिव केस पाये जाने की संभावना है। कंटेनमेंट जोन जिस वार्ड में स्थित है उस वार्ड का बफर जोन के अंतर्गत रखा गया है।

बफर जोन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां लेखित निर्देशों के तहत संचालित की जायेगी -

1. स्टैंड एलोन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ला की दुकानें खोले जा सकेंगी।
2. बाजारों/बाजार परिसर में स्थित दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से खोली जायेंगी।
3. हाथ टेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
4. हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर प्रतिबंधित रहेंगे।
5. पान, गुटखा दुकानें बंद रहेगी।
6. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें यथा-मेडीकल स्टोर, दूध, फल, सब्जी आदि खुली रहेंगी तथा ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगी।

"कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन कोविड-19 की प्रतिदिन की रिपोर्ट के आधार पर बदलते रहेंगे जिसकी अद्यतन स्थिति वेबसाइट jabalpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। उक्त आधार पर ही गतिविधियां संचालित की जायेंगी। किसी भी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में उक्त छूट तत्काल प्रभाव से स्वमेव निरस्त हो जावेगी।"


02/06/2020

ग्रीन जोन :-

जिला जबलपुर का समस्त शहरी, ग्रामीण एवं कैंट क्षेत्र (कन्टेनमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर) ग्रीन जोन के अंतर्गत आयेगा।

ग्रीन जोन में संचालित होने वाली गतिविधियां एवं निर्देश :-

1. शासकीय एवं निजी कार्यालय एवं अन्य स्थान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी।
2. ग्रीन जोन में बाजार ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगे यहां गैर अनुमत गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें (स्टैंड एलोन, मोहल्ला की दुकानें, बाजार/बाजार परिसर स्थित दुकानें) सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
3. समस्त प्रकार की औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकेंगे।
4. खेल मैदान (स्पोर्ट स्टेडियम) केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिये खुलेंगे, जिसमें केवल खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। खेल मैदान में दर्शक के रूप में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा।
5. निम्नलिखित ट्रांसपोर्ट गतिविधियां भारत सरकार, गृह मंत्रालय की गाईड लाइन में निर्धारित संख्या के आधार पर तथा दिशा निर्देशों के तहत संचालित होगी :-
(अ) यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जायेगा। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा। अनुमत यात्री बसों के संचालन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से किया जावे। यात्री बसों का यथा समय सेनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाये। यात्रियों की आवश्यक रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जावे।
(ब) सवारी ऑटो रिक्शा में चालक के अतिरिक्त केवल पीछे की सीट पर 02 सवारी ही बैठ सकेंगी।
(स) टैक्सी सर्विसेस (जैसे कि ओला, कैब सर्विसेस) में वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो सवारी ही बैठ सकेंगी।
6. रेलवे सर्विस प्रारंभ होने पर रेलवे स्टेशनों में आने वाले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग व सामान (लगेज) का सेनेटाइजेशन रेल विभाग द्वारा किया जावेगा।
7. हाथ ठेला चलायमान रहेंगे, किसी एक जगह खड़ा नहीं किया जा सकेगा।
8. यहां पर कोई भी व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन से नहीं आयेगा।
9. कन्टेनमेंट एवं बफर जोन के क्षेत्रों को छोड़कर समस्त जिला जबलपुर में हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोले जा सकेंगे। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) निम्नानुसार है :-
 1. बुखार, जुकाम, खोंसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः निषेध होगा।
 2. हेण्ड सेनेटाइजर को प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाकर उसका उपयोग किया जावेगा।
 3. सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिये फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय किया जावेगा।
 4. प्रत्येक ग्राहक के लिये पृथक से डिस्पाजेबल तौलिया/पेपर का उपयोग किया जावेगा।
 5. सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के उपरांत सेनेटाइज करना होगा।
 6. प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा।
 7. सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैंडरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना होगा।
- 10 (ब) हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिये सामान्य निर्देश :-


04/06/2020

1. घायक सैलून में घेयर के गान से (2 गज की दूरी) का ध्यान रखते हुये घाहक को दुकान में प्रवेश दिया जावेगा। अर्थात यदि किसी दुकान में 02 सैलून घेयर है, जिनके मध्य की दूरी 2 गज है तो केवल दो घाहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
 2. दुकान के अंदर तथा बाहर प्रतिशरत घाहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावेगा।
 3. सभी घाहकों को मारक पहनना अभिवार्य होगा।
 4. घायीण क्षेत्रों के अंतर्गत जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस पाये जायेगें उस क्षेत्र में स्थित समस्त हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर दुकानों की छूट तत्काल प्रभाव से स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
10. राज्य के अंदर एवं राज्य से बाहर आवागमन के संबंध में :-
1. राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी।
 2. व्यक्तियों और सामग्री के राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसे आवागमन के लिये अलग से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
12. निम्नलिखित गतिविधियाँ वर्तमान में बंद रहेंगी एवं 08 जून 2020 के पश्चात् शासन के निर्देशानुसार इन्हें प्रारंभ करने का निर्णय लिया जावेगा :-
1. सार्वजनिक धार्मिक स्थल/पूजा स्थल।
 2. होटल्स, रेस्टोरेण्ट्स और अन्य आतिथ्य सेवाएं।
 3. शॉपिंग मॉल्स।
- उक्त गतिविधियों हेतु शासन द्वारा पृथक से जारी मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (SOP) का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
14. मालगाड़ी वाहनों को अप्रतिबंधित (unrestricted) आवागमन की अनुमति रहेगी।
15. आरोग्य सेतु/सार्थक एप का उपयोग :-
- समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालयों में कार्यरत लोग तथा दुकानदार स्वयं व अपने सभी कर्मचारियों को उनके कंपेटिबल मोबाईल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन/सार्थक एप एप्लीकेशन को इंस्टाल कराना और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।
16. रात्रि कर्फ्यू :-
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे के बीच सम्पूर्ण जबलपुर जिले में व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रतिबंधित गतिविधियाँ :-**
1. बफर एवं ग्रीन जोन में संचालित दुकानों के सामने के बाईक एवं दुकान का सामान रखना प्रतिबंधित होगा। वाहन (बाईक आदि) निर्धारित पार्किंग में खड़ी करना होगा।
 2. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑन लाईन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।
 3. सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, ऑडिटीोरियम आदि तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
 4. धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
 5. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य समारोह वर्जित रहेंगे।

02/06/2020

सामान्य निर्देश :-

1. समस्त दुकानें प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुल सकेंगी।
2. फिजिकल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
4. सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
6. शादी समारोह में वर-वधु सहित केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी।
7. मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। (मृतक कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल 05 व्यक्तियों की अनुमति होगी)
8. सार्वजनिक स्थलों पर चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाखू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन कराये जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाईन बनायेंगे, ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करेंगे तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
9. सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गृह मंत्रालय के गाइड लाईन के अनुसार घर पर रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों के लिये ही घर से बाहर निकल सकेंगे, इस दौरान फेस मास्क और हैंड सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
10. जितना हो सके घर से काम (वर्क फ्राम होम) करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
11. जिले के सभी निवासियों एवं जागरूक रहवासियों को निम्न 5 सावधानी रखने हेतु प्रशासन की ओर से अनुरोध है -
 1. हर व्यक्ति यथा संभव यथा समय मास्क का उपयोग स्वयं ही करें और सामने वाले व्यक्ति को भी बातचीत के दौरान मास्क पहनने हेतु जागरूक एवं बाध्य करें। मास्क के रूप में आमजन सर्जिकल मास्क एन-95, डबल लेयर थ्री फोल्ड कॉटन मास्क, गमझा, डबल लेयर रुमाल आदि का उपयोग कर सकता है यह आवश्यक है क्योंकि बातचीत के दौरान व्यक्ति के मुंह से एरोसोल स्प्रे फेड मीटर तक कम से कम जाता है एवं इस परिधि में आने वाले व्यक्ति की आंख, नाक, मुंह में प्रवेश कर जाये और बात करने वाला व्यक्ति यदि कोरोना से संक्रमित है तो सामने वाला व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ जाता है।
 2. अपने हाथ को साबुन अथवा सेनेटाईजर से बार-बार अवश्य साफ करें। ताकि अगर हाथ का स्पर्श किसी भी वस्तु से हुआ है, जिसमें कोरोना संक्रमण हो तो व्यक्ति इस वायरस को हाथ में ही समाप्त कर सकता है।
 3. घर के अंदर कोई वस्तु लाते समय उस वस्तु को सेनेटाईज अवश्य करें, चाहे वह दूध की थैली हो, किराने का सामान हो, सब्जी अथवा फल इत्यादि हो। इस संबंध में छोटी सी भी लापरवाही संपूर्ण परिवारजनों को कोरोना संक्रमण से प्रभावित कर सकती है।
 4. किसी भी कारण से बाहर से घर वापस लौटने पर यथा संभव अपने जूते, चप्पल, कपड़े घर के ऐसे स्थान पर रख दे जहां कोई न जाता हो। कपड़ों को गर्म पानी में डाल दे तथा साबुन से स्नान कर लें।
 5. चश्मे का उपयोग करने वाले व्यक्ति चश्मे को प्रतिदिवस 2 से 3 बार अवश्य साफ करें।

04/06/2020

विशेष निर्देश :-


उपरोक्त समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति समय-समय पर शासन व इस कार्यालय के द्वारा जारी समस्त निगमों व निर्देशों के अधीन है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी समस्त सामान्य निर्देशों का पालन कराने की जवाबदेही संबंधित संस्था/विभाग की होगी। दुकानदार एवं ठेले से सामग्री विक्रय करने वाले विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास आने वाले ग्राहक मास्क पहनकर आयेगें और यदि कोई ग्राहक बिना मास्क पहने आता है तो उसे सशुल्क मास्क उपलब्ध करायेगें।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन गथा (1) मास्क न पहनने पर प्रथम समय संबंधित व्यक्ति/संस्था एवं दुकानदार दोनों पर न्यूनतम राशि 100/- रुपये एवं अधिकतम राशि रुपये 250/- तक की पैनल्टी अधिरोपित की जायेगी, जिस टीम द्वारा पैनल्टी अधिरोपित की जायेगी उन्हीं के द्वारा संबंधित को सशुल्क मास्क उपलब्ध कराया जायेगा। (2) खुले में भूकने पर राशि रु० 1200/- का जुर्माना (3) होम क्वारंटीन का पालन न होने पर प्रथम समय राशि रु. 2000/- दूसरी बार एफ.आई.आर. कराते हुए इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन की कार्यवाही के लिये पुलिस/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/स्वाय निरीक्षक/औषधि निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। दुबारा उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था की दुकान सील किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ यथावत् प्रभावशील रहेगी। उक्त आदेश आज दिनांक 02.06.2020 को जारी किया जाता है तथा दिनांक 03.06.2020 से प्रभावशील होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।


02/06/2020
(भरत यादव)
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/1653/एस.डब्ल्यू./2020

जबलपुर, दिनांक 2 जून, 2020.


प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, जबलपुर।
10. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर-1, 2/ग्रामीण, जिला जबलपुर।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, केन्ट बोर्ड, जबलपुर।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जबलपुर।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जे.सी.टी.सी.एल. जबलपुर।
15. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सर्व जिला जबलपुर।
16. स्वाय नियंत्रक, जबलपुर।
17. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर।
18. पुलिस कंट्रोल रूम, जबलपुर।

19. केन्द्र निदेशक, आकावाणी/दूरदर्शन जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, जबलपुर की ओर नगर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
21. प्रबंधक, ई-गव्हर्नेंस, जबलपुर की ओर संदेश प्रसारित करने हेतु अग्रेषित।

02/06/2020
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर

Risk Zone Map of Jabalpur



- Road
- Risk Zone**
- Containment Zone
 - Green Zone
 - Buffer Zone

02/06/2020


बफर जोन का विवरण :-

(दिनांक- 02 जून 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	वार्ड क्रमांक व नाम	क्रमांक	वार्ड क्रमांक व नाम
1	वार्ड क्रमांक-24 हनुमानताल	9	वार्ड क्रमांक-50 ठक्कर ग्राम
2	वार्ड क्रमांक-26 गोविन्द वल्लभ पंत	10	वार्ड क्रमांक-51 रविन्द्र नाथ टेंगोर
3	वार्ड क्रमांक-36 मो. अब्दुल कलाम आजाद	11	वार्ड क्रमांक-52 मदन मोहन मालवीय
4	वार्ड क्रमांक-37 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	12	वार्ड क्रमांक-53 महर्षि अरविंद
5	वार्ड क्रमांक-38 पं. मोतीलाल नेहरू	13	वार्ड क्रमांक-55 खेरमाई
6	वार्ड क्रमांक-39 चितरंजन	14	वार्ड क्रमांक-58 सर्व पल्ली राधकृष्णन
7	वार्ड क्रमांक-40 डॉ. जाकिर हुसैन	15	वार्ड क्रमांक-59 शहीद असाफाक उल्ला
8	वार्ड क्रमांक-49 लाल बहादुर शास्त्री		

टीप -

- 1- कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष वार्ड का पूरा भाग बफर जोन होगा।
- 2- यह बफर जोन आज दिनांक-02/06/2020 की अद्यतन स्थिति अनुसार है। दैनिक परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हो सकता है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट jabalpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।


02/06/2020

1. ग्रीन जोन (महाराजपुर, सुहागी, सराफा, रांझी, गोरखपुर, ग्वारीघाट, केन्ट क्षेत्र) का विवरण :-

- सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं न.नि. जबलपुर को छोड़कर जिले के अन्य सभी नगरीय निकाय (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर)
- केन्ट बोर्ड (छावनी परिषद)
- नगर निगम क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित वार्ड ग्रीन जोन होंगे

क्रमांक	वार्ड क्रमांक व नाम	क्रमांक	वार्ड क्रमांक व नाम
1	वार्ड क्रमांक-1 गढ़ा	33	वार्ड क्रमांक-35 महाराणा अग्रसेन
2	वार्ड क्रमांक-2 स्वामी वीरेन्द्र पुरी	34	वार्ड क्रमांक-41 संजय गांधी
3	वार्ड क्रमांक-3 त्रिपुरी	35	वार्ड क्रमांक-42 सुभाषचन्द्र बोस
4	वार्ड क्रमांक-4 शंकर शाह नगर	36	वार्ड क्रमांक-43 श्यामा प्रसाद मुखर्जी
5	वार्ड क्रमांक-5 सरदार वल्लभ भाई पटेल	37	वार्ड क्रमांक-44 आचार्य विनोबाभावे
6	वार्ड क्रमांक-6 इंदिरा गांधी	38	वार्ड क्रमांक-45 शीतला माई
7	वार्ड क्रमांक-7 वीर सावरकर	39	वार्ड क्रमांक-46 पं. द्वारका प्रसाद मिश्र
8	वार्ड क्रमांक-8 ग्वारीघाट	40	वार्ड क्रमांक-47 सेठ गोविंद दास
9	वार्ड क्रमांक-9 दादा बाबूराव परांजपे	41	वार्ड क्रमांक-48 सिद्धबाबा
10	वार्ड क्रमांक-10 गुप्तेश्वर	42	वार्ड क्रमांक-54 जवाहरलाल नेहरू
11	वार्ड क्रमांक-11 गिरिराज किशोर	43	वार्ड क्रमांक-56 शहीद अब्दुल हमीद
12	वार्ड क्रमांक-12 जार्ज डिसिल्वा	44	वार्ड क्रमांक-57 महर्षी महेश योगी
13	वार्ड क्रमांक-13 बनारसी दास भानोत	45	वार्ड क्रमांक-60 निर्मलचन्द्र जैन
14	वार्ड क्रमांक-14 नरसिंह	46	वार्ड क्रमांक-61 दीवान आधार सिंह
15	वार्ड क्रमांक-15 मदन महल	47	वार्ड क्रमांक-62 डॉ. भीम राव अम्बेडकर
16	वार्ड क्रमांक-16 महाराणा प्रताप	48	वार्ड क्रमांक-63 शहीद भगत सिंह
17	वार्ड क्रमांक-17 रानी दुर्गावती	49	वार्ड क्रमांक-64 महर्षि सुदर्शन
18	वार्ड क्रमांक-18 शहीद गुलाब सिंह	50	वार्ड क्रमांक-65 सुभाषचन्द्र बेनर्जी
19	वार्ड क्रमांक-19 कमला नेहरू	51	वार्ड क्रमांक-66 रानी लक्ष्मी बाई
20	वार्ड क्रमांक-20 कस्तूरबा गांधी	52	वार्ड क्रमांक-67 वीरांगना अवंती बाई
21	वार्ड क्रमांक-21 स्वामी विवेकानंद	53	वार्ड क्रमांक-68 गोकलपुर
22	वार्ड क्रमांक-22 जवाहरगंज	54	वार्ड क्रमांक-69 चन्द्रशेखर आजाद
23	वार्ड क्रमांक-23 लोकमान्य बालगंगाधर तिलक	55	वार्ड क्रमांक-70 लाला लाजपत राय
24	वार्ड क्रमांक-25 महात्मा गांधी	56	वार्ड क्रमांक-71 वीर दुर्गादास राठौर
25	वार्ड क्रमांक-27 चेरीताल	57	वार्ड क्रमांक-72 दादा ठनठनपाल
26	वार्ड क्रमांक-28 जयप्रकाश नारायण	58	वार्ड क्रमांक-73 भगवान परशुराम
27	वार्ड क्रमांक-29 डॉ. राममनोहर लोहिया	59	वार्ड क्रमांक-74 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
28	वार्ड क्रमांक-30 पं. दीनदयाल उपाध्याय	60	वार्ड क्रमांक-75 शहीद बिरसा मुंडा
29	वार्ड क्रमांक-31 राजीव गांधी	61	वार्ड क्रमांक-76 गुरु गोविंद सिंह
30	वार्ड क्रमांक-32 सुभद्रा कुमारी चौहान	62	वार्ड क्रमांक-77 संत रविदास
31	वार्ड क्रमांक-33 स्वामी दयानंद सरस्वती	63	वार्ड क्रमांक-78 महर्षि वाल्मीकी
32	वार्ड क्रमांक-34 पं. भवानी प्रसाद तिवारी	64	वार्ड क्रमांक-79 ईश्वरदास रोहाणी

टीप - यह ग्रीन जोन आज दिनांक-02/06/2020 की अद्यतन स्थिति अनुसार है। दैनिक परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हो सकता है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट jabalpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

02/06/2020